संख्या-64 /2019/2940 /71-2-19-34/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपकरण क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-55/2019/2619/71-2-19-34/2018, दिनांक 18-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल, लखनऊ के लिए मानक मद 26- मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश द्वारा अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष रू0 9307.38 लाख (रूपये तिरानबे करोड़ सात लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

1) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।

3) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

4) वित्त विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-1201/9/बी1-1-7/0दस201-9201/231-9, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

6) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं तकनीकी विशिष्टियों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक /वित्त नियंत्रक संस्थान की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7) दर अनुबन्ध/ निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।

8) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9) उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016,दिनांक 23 अगस्त 2017, शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016,दिनांक 25 अगस्त 2017 तथा शासनादेश संख्या-14/2017/553/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016,दिनांक 29 अगस्त 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने का दायित्व निदेशक/वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

11) संस्थान के वित्त नियंत्रक्/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

12) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

13) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस),2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत :अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

16) प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

17) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।

18) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19) रू0 50.00 लाख के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों हेतु निविदा निर्गत करने से पूर्व 'प्री-बिड कान्फ्रेंस अनिवार्य रूप से आयोजित की जाय तथा उपकरण की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निविदा विशिष्टताएं ऐसी कमेटी से निर्धारित करायी जाय, जिसमें अनिवार्य रूप से कम से कम एक बाहय विशेषज्ञ हो। रू0 05.00 करोड़ के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों हेतु 'प्री-बिड' कान्फ्रेंस अनिवार्य रूप से 'कैमरे' में आयोजित की जाय तथा उपकरण की निविदा विशिष्टताओं हेतु गठित कमेटी में 03 बाहय विशेषज्ञ सम्मिलित हो, जिसमें एक अनिवार्य रूप से प्रदेश के बाहर के हों।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखाशीर्ष''4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105 एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/ 2019/बी-1-170/दस- 2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-64/2019/2940(1)/71-2-19- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त)व्यय नियंत्रण (अनुभाग/3-नियोजन अनुभाग/4-वित्त) आय-व्ययक (अनुभाग2-
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in